कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः–/881 / FP/UK/ROAD/15216/2015 देहरादूनः दिनांकः 18 नवम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल, के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मंदिर से स्यालसी–गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8775 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ROAD/15216/2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रही है। अतः जनहित में प्रस्ताव 1.00 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 वृक्ष से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / **FP/UK/ROAD/15216/2015** तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून ।
5. जिलाधिकारी, जनपद–टिहरी गढ़वाल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़, (टि0ग0)।

(विनोद कुमार)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एंव नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– जनपद–टिहरी गढवाल, के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मंदिर से स्यालसी–गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8775 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/15216/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु मसूरी वन प्रभाग में 0.8775 है0 सिविल सोयम वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग मसूरी था वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः **जनपद–टिहरी गढवाल, के जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत हनुमान मंदिर से स्यालसी–गोरण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु** के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षरः

नाम व पदनामः (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

Addl. P.C.C.F./N.O.

Land Survey Directorate

Dehradun

सरकारी मोहरः

तिथि : 18 / 11 / 2017

स्थान : देहरादून